न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर म.प्र.

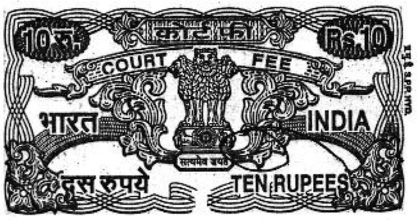

R-3268/PBR/15

अशोक कुमार नागा आ0 तेजबहादुर नागा
निवासी जुमेराती मोहल्ला होशंगाबाद
तहसील व जिला होशंगाबाद -------------- आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती संगीता पत्नि नरेन्द्र तिवारी
निवासी माता मढिया के पास सदर बाजार होशंगाबाद
तहसील व जिला होशंगाबाद

2. श्री संजीव माडरे राजस्व निरीक्षक डायवर्सन
तहसील कार्यालय होशंगाबाद -------------- अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

आवेदक यह पुनरीक्षण याचिका माननीय अपर कलेक्टर होशंगाबाद के न्यायालय के रा.प्र.क्र. 9अ/12/2014-15 आदेश दिनांक 9.7.2015 जिसके तहत आवेदक की स्वमेव पुनरीक्षण याचिका निरस्त की गयी है के विरूद्ध निम्न तथ्यो व आधारो पर पेश है :-

---

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3268–पीबीआर/15 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–12–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 9–7–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि राजस्व निरीक्षक डायवर्सन द्वारा दिनांक 22–5–14 को विधिवत सीमांकन किया गया है, और यदि आवेदक उपरोक्त सीमांकन से असंतुष्ट है तो वे नियमानुसार शुल्क जमा कर टी. एस.एम. मशीन से सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र हैं । अतः अपर कलेक्टर द्वारा उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में निगरानी निरस्त करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	